

प्रेषक,

जिला पूर्ति अधिकारी,  
सहारनपुर।

सेवा में,

जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,  
सहारनपुर।

पत्रांक 375 / जि0पू0अ0-अधि0अनु0 / 2015

दिनांक 25 फरवरी, 2015

महोदय,

कृपया दिनांक 20.20.2015 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग में कम्प्यूटर कय करने हेतु आयोजित कय समिति की बैठक का संज्ञान लेने का कष्ट करें। उक्त बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा आपको आपूर्ति विभाग में कम्प्यूटर कय करने हेतु टेण्डर की शर्तों को जिले की वेबसाईट पर इसे प्रदर्शित करने हेतु अधिकृत किया गया है।

अतः अल्पकालिक निविदा-नियम एवं शर्तों की एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि इसे जिले की ऑफिसियल वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

जिला पूर्ति अधिकारी,  
सहारनपुर।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1-जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
- 2-उपायुक्त (खाद्य), सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
- 3-जिला खाद्य विपणन अधिकारी, सहारनपुर।
- 4-मुख्य कोषाधिकारी, सहारनपुर।
- 5-मुख्य विकास अधिकारी, सहारनपुर।

जिला पूर्ति अधिकारी,  
सहारनपुर।

## अल्पकालिक निविदा-नियम एवं शर्तें

- 1- निविदागत कार्य हेतु पंजीकृत फर्मों से सील बन्द द्विस्तरीय (तकनीकी एवं वित्तीय) निविदायें दिनांक 12.03.2015 को पूर्वान्ह 10:00 बजे से अपरान्ह 2:00 बजे तक अलग-अलग तकनीकी एवं वित्तीय बिड लिफाफे पर अंकित करते हुए एक बड़े सील बन्द लिफाफे में जिला पूर्ति कार्यालय, सहारनपुर में रखे गये निविदा पेटिका में डाली जायेगी। तदोपरान्त उसी तिथि को जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति के समक्ष निविदा दाताओं की उपस्थिति में सायं 3:30 बजे खोली जायेगी।
- 2- निविदायें दिनांक 25.02.2015 से पूर्वान्ह 10:00 बजे से दिनांक 11.03.2015 की सायं 5:00 बजे तक जिला पूर्ति कार्यालय, चर्च कम्पाउण्ड, बाजोरिया मार्ग, सहारनपुर से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है। निविदा प्रपत्र का मूल्य अंकन 500/- रुपये होगा।
- 3- तकनीकी बिड क्वालीफाई करने वाले निविदादाता फर्मों की वित्तीय बिड खोली जायेगी। जो निविदादाता फर्म तकनीकी बिड क्वालीफाई नहीं कर पायेगे उनकी वित्तीय बिड नहीं जायेगी अर्थात् उन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। तकनीकी रूप से क्वालीफाई करने हेतु आधार निम्नवत होगा-
  - क- निविदादाता फर्म का व्यापार कर एवं आयकर में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन की कॉपी निविदा के साथ संलग्न करनी होगी।
  - ख- कम्पनी का ISO सर्टिफाईड होना अनिवार्य है।
  - ग- निविदादाता फर्म मांगे गये ब्रांड के लिये ब्राण्डेड/ऑरिजनल इक्यूपमेंट मैनुफैक्चर अथवा उनके अधिकृत डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर हो। फर्म को निविदा के साथ मैनुफैक्चर अथवा उनके अधिकृत डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। आरिजनल मैनुफैक्चर कम्पनी का अथोराइजेशन लैटर टैण्डर के संदर्भ में होना अनिवार्य है।
  - घ- निविदादाता फर्म द्वारा सप्लाई किये गये ब्राण्ड का अधिकृत सर्विस नेटवर्क जनपद में उपलब्ध होना अनिवार्य है। जिसका पता सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्ति का नाम व मोबाईल नम्बर निविदा के साथ संलग्न करते हुए प्रमाणपत्र देना होगा कि शिकायत का 24 घण्टे के अन्दर निस्तारण कर दिया जायेगा। निर्धारित अवधि में निस्तारण न करने पर रू0 250/- प्रति दिन की दर से फर्म को अर्थदण्ड देना होगा।
  - ङ- निविदा दाताओं के पास किसी सरकारी विभाग में इस प्रकार की सप्लाई का कम से कम लगातार 03 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। जिसका प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
  - च- निविदादाता फर्म की पिछले तीन वर्षों की टर्नओवर कम से कम रू0 20,00,000/- प्रतिवर्ष या तीन वर्षों के कुल टर्नओवर कम से कम रू0 60,00,000/- होना आवश्यक है। जिसकी पुष्टि हेतु निविदादाता को पिछले तीन वर्षों की चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा तैयार की गयी बैलेन्स शीट की कॉपी एवं दाखिल की गयी आयकर रिटर्न की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। पैन कार्ड की प्रति भी संलग्न करे।
  - छ- निविदादाता को रू0 10/- के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि फर्म को किसी सरकारी विभाग द्वारा पूर्व में काली सूची में नहीं रखा गया है।
  - ज- निविदादाता फर्म को निविदा में दर्शाये गये कार्य को पूर्ण करने के बाद ही भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में बीच में भुगतान नहीं किया जायेगा। कार्य पूर्ण किये बिना बीच में ही अधूरा छोड़ने पर निविदादाता फर्म को काली सूची में भी डाल दिया जायेगा।
  - झ- निविदा फर्म द्वारा दी गयी दर में डेस्कटॉप कम्प्यूटर/लैपटॉप/लेजर प्रिंटर 05 साल की वारन्टी ऑन साईट तथा यू0पी0एस0 03 वर्ष की वारन्टी एवं 02 वर्ष की ए0एम0सी0 भी सम्मिलित होगी, जिसमें बैटरी भी सम्मिलित होगी। 05 वर्ष तक निविदा में उल्लिखित

उपकरणों आदि की पूर्णरूपेण सर्विस की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आपूर्ति किये गये कम्प्यूटर्स व सहवर्ती उपकरण 05 वर्ष तक ठीक प्रकार से कार्य करें अन्यथा निविदादाता फर्म के विरुद्ध कार्यवाही की प्राविधान विभाग के साथ निविदा स्वीकृति उपरान्त किये जा रहे एग्रीमेन्ट में किया जायेगा।

ण- बैंक गारन्टी 10 प्रतिशत जो की गारन्टी तथा वारन्टी अवधि तक बाध्य होगी।

त- उक्त कार्य हेतु धरोहर/जमानत राशि रू० 3,00,000/- की एफ०डी०आर० जो जिला पूर्ति अधिकारी, सहारनपुर के पक्ष में देय हो बन्धक के रूप में रखी जायेगी तथा निविदा के समय अर्नेस्ट मनी अंकन 20,000/- रुपये का बैंक ड्राफ्ट जो जिला पूर्ति अधिकारी, सहारनपुर के पक्ष में देय हो देना होगा।

नोट:- उपरोक्त सभी आवश्यक सूचनायें/अभिलेख तकनीकी बिड वाले लिफाफे में रखना होगा।

4- टेण्डर का दो विण्ड सिस्टम होना अनिवार्य है, जो कि:-

क- फाईनेन्शियल

ख- टैक्निकल

5- निविदा प्रपत्र में दर्शाये गये हार्डवेयर की आपूर्ति व अर्थिंग सहित इंस्टालेशन के पश्चात आपूर्तिकर्ता कम्पनी द्वारा अपने प्रतिनिधि की उपस्थिति में हार्डवेयर के स्पेसिफिकेशन एवं गुणवत्ता को डी०आई०ओ० एन०आई०सी० के सम्मुख सत्यापित कराना होगा व डी०आई०ओ० का गुणवत्ता सम्बन्धी प्रमाण पत्र देना होगा तथा आपूर्ति की गयी सामग्री के निर्धारित स्पेसिफिकेशन एवं गुणवत्ता का होने सम्बन्धी कम्पनी की ओर से भी प्रमाणपत्र देना होगा। तत्पश्चात ही भुगतान किया जायेगा।

6- निविदा हेतु वित्तीय बिडवाले लिफाफे में दरें सभी प्रकार के करों को शामिल करते हुए प्रस्तुत करना होगा कोई अलग से भुगतान नहीं किया जायेगा।

7- दी गई दरें अगले 01 वर्ष के लिये मान्य होगी एवं कम्प्यूटर आदि की संख्या घट-बढ़ सकती है।

8- स्वीकृत निविदादाता फर्म को हार्डवेयर की आपूर्ति कार्यादेश मिलने के 04 दिन के अन्दर सुनिश्चित करनी होगी। समय सीमा में आपूर्ति नहीं कर पाने की स्थिति में कार्यादेश निरस्त कर निविदादाता फर्म को काली सूची में डालने का निर्णय लेने के लिए जिलाधिकारी सहारनपुर स्वतन्त्र होंगे।

9- यदि फर्म द्वारा समय पर आपूर्ति नहीं की जाती है तो उसका निविदा फार्म निरस्त करते हुए उसी दर पर अन्य फर्म से आपूर्ति करायी जा सकती है।

10- जिला पूर्ति कार्यालय द्वारा भुगतान के समय देय आयकर/टी०डी०एस० काट कर ही नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

11- निविदा को बिना किसी कारण बताये कभी भी जिलाधिकारी सहारनपुर द्वारा निरस्त किया जा सकता है। किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में जिलाधिकारी सहारनपुर द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा तथा किसी भी बात का न्यायिक क्षेत्राधिकार जनपद सहारनपुर होगा।

12- निविदादाता फर्म को उक्त निविदा प्रपत्र के सभी पन्नों पर हस्ताक्षर करते हुये टैक्निकल बिड एवं (फाइनेन्शियल बिड) संलग्नको सहित लिफाफे में देना होगा।

जिला पूर्ति अधिकारी,  
सहारनपुर।

## अल्पकालीन निविदा आमन्त्रण पत्र

जिला पूर्ति कार्यालय, सहारनपुर में निम्नानुसार ब्राण्डेड कम्पनी यथा-एच0पी0/डेल/लेनोवो कम्पनी से कम्प्यूटर व उसके सहवर्ती उपकरण कय हेतु निविदा आमन्त्रित की जाती है।

1- डेस्कटॉप कम्प्यूटर-27, लेजर प्रिन्टर-37, लैपटॉप-12, एम.एस. ऑफिस सॉफ्टवेयर लेटेस्ट-39, यू0पी0एस0-27, इन्टरनेट कनेक्टिविटी-24, लेन केब्लिंग-25

निविदा लेने हेतु इच्छुक फर्म दिनांक 25.02.2015 से दिनांक 11.03.2015 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक की अवधि में जिला पूर्ति कार्यालय, चर्च कम्पाउण्ड, बाजोरिया मार्ग, सहारनपुर से निविदा प्रपत्र कय कर सकती है। निविदा के नियम एवं शर्तें तथा स्पेशिफिकेशन जनपद की ऑफिशियल वेबसाइट [www.saharanpur.nic.in](http://www.saharanpur.nic.in) से डाउनलोड की जा सकती हैं तथा जिला पूर्ति कार्यालय पर भी प्रदर्शित है।

(धुबराज यादव)  
जिला पूर्ति अधिकारी  
सहारनपुर।

## कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, सहारनपुर

पत्रांक 379 / जि0पू0अ0-अधि0अनु0 / 15 दिनांक 25 फरवरी, 2015

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1-जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
- 2-जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सहारनपुर।
- 3-स्थानीय संवाददाता अमर उजाला एवं जनवाणी को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त निविदा को समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

25.02.15  
जिला पूर्ति अधिकारी,  
सहारनपुर।